150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141– 2796625 मेल– DIRECTORUNANI@RAJASTHAN.GOV.IN

क्रमांकः प्रति.–2 / नवी.कनि.सहा.नियु.–2018 / 2020–21 / दिनांकः–

आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3)विभाग, राजस्थान सरकार के क्रमांकःप.1(1)प्र.सु. / अनु. –3 / 2020 जयपुर दिनांकः 16.05.2020 द्वारा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 के चयनित अभ्यार्थियों मे से विभाग को आंवटित 06 अभ्यार्थियों की नियुक्ति संबंधी कार्यवाही करने हेतु सूची प्राप्त होने के फलस्वरूप राजस्थान सेवा नियम एवं राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित अभ्यार्थियों को अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति देने के लिये दस्तावेज सत्यापन हेतु सूची जारी की जाती है।

S. No.	Rank	Application No.	Roll No.	Name	Father's Name	Date of Birth	Gender	Category	SEL_CAT
1.	2047	201804749097	2203595	Sunil Kumar	Rajendra Kumar	29.11.1996	Male	OBC	O_GEN
2.	2055	201803452821	1524078	Hitesh Kumar	Raj Kumar	04.06.1996	Male	OBC	O_GEN
3.	2128	201803464227	2428737	Sahdev Ram Bera	Hukma Ram Bera	08.10.1996	Male	OBC	O_GEN
4.	2316	201804424952	2197843	Shyam Prakash Chhabadi	Uday Bhan Singh	04.04.1995	Male	MBC	O_GEN
5.	2319	201804748565	1292652	Anil Kumar	Jhabar Mal	03.08.1995	Male	OBC	O_GEN
6.	5044	201803990775	1477427	Kuldeep Patwa	Chirnji Lal Patwa	02.08.1991	Male	OBC	O_GEN

उक्त चयन सूची निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहेगी :–

1. एम.बी.सी. के अभ्यार्थियों के संबंध में कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक प.7(1)कार्मिक /क–2/ 2017 दिनांक 23.06.2019 की पालना में पूर्व में स्वीकृत 01 प्रतिशत पद के अतिरिक्त अति पिछड़ा वर्ग के 04 प्रतिशत अतिरिक्त पद सृजित किये गये है, के विरूद्व ही इन 04 प्रतिशत अभ्यार्थियों का पदस्थापन किया जावेगा। इस संबंध में एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.–3469 /2020 अंकित धायल व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 26.02.2020 की पालना में अति पिछड़ा वर्ग (एम.बी.सी.) के अभ्यार्थियों की नियुक्ति सृजित छाया पदों (Shadow Posts) के विरूद्व ही की जायेगी।
2. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यार्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. उक्त अभ्यार्थियों को **दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होते समय** गृह जिले के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी मूल पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र **(दिनांक 29.06.2020 को या इसके पश्चात जारी)** सक्षम अधिकारी **(मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)** द्वारा जारी मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, संतान संबंधी शपथ पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, धुम्रपान, दहेज संबंधी शपथ पत्र, मूल चरित्र प्रमाण पत्र **(दो पृथक पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी)** समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की मूल प्रतियों सहित स्वप्रमाणित छाया प्रतियां, इत्यादि निदेशालय में सत्यापित करवाने हेतु उपस्थित होवे।

4. अभ्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेगें। साथ ही दोषी के विरूद्ध न्यायिक/दण्डित कार्यवाही की जायेगी।
5. अभ्यार्थी को सत्यापन करने से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा एवं वह अपराधिक दण्डित कार्यवाही का भागीदार होगा।
6. राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन किया जाना अनिवार्य किया गया है। अतः विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र सत्यापन करने से पूर्व अभ्यार्थी को प्रस्तुत करना होगा। परिपत्र दिनांक 22.05.2006 के जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यार्थियों को इस आशय का नोन ज्यूडिशियल स्टॉप पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. निःशक्त अभ्यार्थियो को मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त कर दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यार्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियम वेतन (फिकस पे) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
9. उक्त समस्त अभ्यार्थियो को इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 07 दिवस की अवधि में अपने दस्तावेज सत्यापित करवाने हेतु निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, जयपुर में उपस्थित होवे । इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
10. निर्धारित अवधि तक दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने पर अभ्यार्थी की पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।
11. उक्त कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, 2018 में चयनित अभ्यार्थियों के पदस्थापन आदेश दस्तावेज सत्यापन के पश्चात सक्षम अनुमोदन उपरान्त पृथक से जारी किये जायेगें।

(डॉ. मो. उस्मान कासमी)
निदेशक

क्रमांकः प्रति.–2/नवी.कनि.सहा.नियु.–2018/2020–21/1710-16 दिनांकः– 29/06/2020

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग–3)विभाग, जयपुर।
3. सचिव, कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर।
4. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
5. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट, कार्यालय हाजा को देकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6. संबंधित अभ्यार्थी ....।
7. रक्षित पत्रावली।

अति. निदेशक